न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाड़मेर,
जिला बाड़मेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ॰ सिम्पल शर्मा, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रकरण संख्या :— 181 / 2025
सी॰आई॰एस॰ नंबर :— 52 / 2025

राजुराम पुत्र सवाईराम, उम्र 33 साल, निवासी बाण्ड तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती प्रेमी पत्नी राजुराम, पुत्री रावताराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी बाण्ड, हाल प्रवीणसिंह पुत्र बाबुसिंह, निवासी आबुरोड तहसील आबुरोड, जिला सिरोही

..... विप्रार्थीनी

:: आवेदन पत्र वास्ते प्राप्त त्वरित रूप से प्रार्थी की नाबालिग पुत्री दीपिका व मीना को सुपुर्द करवाने बाबत्:

उपस्थित :—

1. श्री भजनलाल गोदारा, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री उदयमानसिंह राठौड़, विद्वान् अधिवक्ता विप्रार्थीनी की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक : 28.03.2026

1. प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 7 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम का प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है तथा प्रार्थी का आवेदन प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का विप्रार्थीनी के साथ हिन्दू धर्म और पक्षकरों के समाज के रीति—रिवाज के

अनुसार दिनांक 07.05.2007 को ग्राम मांगता तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में विवाह सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् विप्रार्थीनी प्रार्थी की पत्नी के रूप में निवास करने लगी। विप्रार्थीनी आजाद ख्यालों की महिला थी, उसने प्रार्थी को कहा कि वह गांव में नहीं रहेगी, इसलिए प्रार्थी बाहर शहर में चलकर रहे, तब प्रार्थी ने विप्रार्थीनी को समझाने का प्रयास किया उसके माता–पिता वृद्ध हैं तथा उसके चार भाई व उसके तीन छोटे बहिनों की परवरिश करने की समस्त जवाबदारी प्रार्थी की है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी विप्रार्थीनी को बाहर लेकर नहीं जा सकता है, इस कारण विप्रार्थीनी प्रार्थी व उसके परिवार वालों से नाराज रहने लगी तथा घर पर आए दिन झगड़े करना, प्रार्थी की बेइज्जती करती रहती थी।

3. प्रार्थी एवं विप्रार्थीनी के दाम्पत्य जीवन से प्रार्थी के दो पुत्री मीना, दीपिका व एक पुत्र मुकेश का जन्म हुआ। विप्रार्थीनी गांव के ही प्रवीणसिंह पुत्र बाबुसिंह के बहकावे में आ गई तथा उसके साथ बातचीत करने लगी तथा उससे हिलने–मिलने लगी तो प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो विप्रार्थीनी नं प्रार्थी व उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए तथा उनके साथ मारपीट करने तथा बच्चों के साथ उतारू रहती थी। विप्रार्थीनी ने प्रवीणसिंह के साथ भागने का भी प्रयास किया था, जिसको समझाने का प्रार्थी ने बहुत प्रयास किया। इस बात से नाराज होकर विप्रार्थीनी अपना समस्त गहने एवं प्रार्थी के घर पर रखे हुए गहने, रुपये लेकर अपने पीहर जाने का कहकर अपने तीनों नाबालिग बच्चो सहित निकली तथा अपने पीहर नहीं गई तथा उसके बाद विप्रार्थीनी के पीहर वालों ने आज से करीबन 6 महीने पूर्व गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थीनी व उसके संतानों को दस्तयाब किया गया था, जहां प्रमिला द्वारा प्रवीणसिंह पुत्र बाबुसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी आबुरोड के साथ जाना चाहा। विप्रार्थीनी अपने साथ दो बच्चों मीना व दीपिका को साथ लेकर गई थी।

4. विप्रार्थीनी का प्रवीणसिंह के साथ विवाहोतर संबंध था, इसी कारण विप्रार्थीनी प्रार्थी का घर छोड़कर प्रवीण सिंह के साथ रहवास कर रही है। विप्रार्थीनी के साथ प्रार्थी की दोनों नाबालिग पुत्रियां मीना व दीपिका

निवास कर रही है, जिनके साथ विप्रार्थीनी मारपीट करती है तथा विप्रार्थीनी व प्रवीणसिंह उनसे बाल मजदूरी करवाते है तथा उनको अध्ययन नहीं करवा रही है।

5. वर्तमान में प्रार्थी के दोनों बच्चे विप्रार्थीनी के साथ निवास कर रहे हैं तथा विप्रार्थीनी द्वारा उनकी सही देखभाल व परवरिश नहीं की जा रही है और विप्रार्थीनी द्वारा प्रार्थी के दोनों बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों में मानसिक कुण्ठा पैदा हो रही है। यदि बच्चों को प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तथा नैतिक व चारित्रिक मूल्यों में गिरावट आएगी।

6. प्रवीणसिंह एक शराबी प्रवृति का व्यक्ति है तथा प्रवीण सिंह अपने नशे की आड़ में प्रार्थी की जायंदा पुत्रियों के साथ किसी तरीके से क्रुरतापूर्ण व्यवहार कर सकता है तथा उनको रुपयों के बदले बेचान कर सकता है। अगर विप्रार्थी व प्रवीण सिंह ऐसा करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा तथा प्रार्थी की नाबालिग संतानों का जीवन नरकमय हो जाएगा। ऐसे में प्रार्थी की दोनों पुत्रिया के भावि भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उनके कल्याण हेतु तुरंत प्रभाव से उक्त दोनों पुत्रियों को विप्रार्थी से बरामद कर प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

7. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के दोनों बच्चों दीपिका व मीना को विप्रार्थीनी की संरक्षकता से प्रार्थी की संरक्षकता में दिलवाए जाने का आदेश फरमाया जावे।

8. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अंतरिम प्रार्थना–पत्र का जवाब विप्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिसमें प्रार्थी को किसी प्रकार की सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी की दोनों बच्चियां वर्तमान में आबूरोड में अपनी माता के साथ निवास कर रही है, जिस कारण उक्त प्रार्थना श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं है, जिस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है।

9. विप्रार्थीनी राजी–खुशी से अपने ससुराल प्रार्थी के साथ रहवास रही थी, परंतु प्रार्थी स्वयं एक शराब प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो शराब पीकर हर समय विप्रार्थीनी व बच्चियों के साथ मारपीट करता था तथा गाली–गलौच करता रहता था तथा विप्रार्थीनी के साथ मारपीट कर विप्रार्थीनी व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया, जिस पर विप्रार्थीनी वर्तमान में आबूरोड में रहवास कर ही है। प्रार्थी विप्रार्थीनी का भरण–पोषण नहीं करता था। दोनों बच्चियां वर्तमान में अपनी माता विप्रार्थीनी के साथ आबूरोड में रहवास कर अध्ययन कर रही है तथा विप्रार्थीनी द्वारा अपनी बच्चियों का अच्छी तरह से विकास किया जा रहा है तथा उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई जा रही है। प्रार्थी शराबी प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके साथ बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चियों के बालिग होने तक अपनी माता के साथ ही रखा जाना विधिसम्मत है।

10. अंत में विप्रार्थीनी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व बेबुनियाद होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

11. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीनी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

12. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता विप्रार्थीनी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

13. उभय पक्षकारान के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी और विप्रार्थीनी श्रीमती प्रेमी का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 07.05.2007 को ग्राम मांगता तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में हुआ था और उनके दाम्पत्य जीवन से उनके तीन संताने हुई, जिनमें एक पुत्र मुकेश व दो पुत्रियां मीना व दीपिका हुई। विप्रार्थीनी वर्तमान में आबूरोड में निवास कर रही है, यह

भी एक स्वीकृत तथ्य है और उसके साथ उसकी दोनों पुत्रियां मीना व दीपिका भी निवास कर रही हैं। जहां तक विप्रार्थीनी का प्रवीण सिंह पुत्र बाबुसिंह के साथ रहना, अपनी दोनों पुत्रियों को अध्ययन नहीं करवाया, उनके साथ गलत व्यवहार करने का प्रश्न है तो यह सभी मूल प्रार्थना–पत्र में तय होने वाले तत्व है। चूंकि अंतरिम संरक्षकता दोनों पुत्रियों के संबंध में चाही गई है और दोनों ही पुत्रियां नाबालिग हैं, जो की वर्तमान में अपनी माता के साथ हैं और लड़कियों का अपनी माता के साथ होना अधिक सुरक्षात्मक एवं सुविधापूर्ण होता है, इसलिए प्रार्थी को इस स्तर पर अपनी दोनों नाबालिग पुत्रियों की अंतरिम संरक्षकता दिलवाया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

14. अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् त्वरित रूप से प्रार्थी की नाबालिग पुत्री दीपिका व मीना को सुपुर्द करवाने का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)

15. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)